बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 16 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

जहाँ तक नाम निर्देशन की बात है तो आज दिनांक 16.04.2024 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के तीसरे चरण के लिए पाँच (05) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों (झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं खगड़िया) के लिए नामांकन का तीसरा दिन था। प्राप्त सूचनानुसार आज दिनांक 16.04.2024 को उक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामनिर्देशन की स्थिति निम्नवत् है:–

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	दल सम्बद्धता
झंझारपुर	01	विजय कुमार मंडल	सोसलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्यूनिष्ट)
	02	राम प्रसाद राउत	निर्दलीय
सुपौल	01	दिलेश्वर कामैत	जनता दल (यूनायटेड)
	02	योगनारायण सिंह	निर्दलीय
	03	मो0 कलीम खान	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी
	04	चन्द्रहास चौपाल	राष्ट्रीय जनता दल
अररिया	01	मो0 शाहनवाज आलम	राष्ट्रीय समाज पक्ष
	02	श्री प्रदीप कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
मधेपुरा	01	सुरेश्वर पोद्दार	आदर्श पार्टी
	02	कामेश्वर यादव	भारतीय जन क्रांति (डेमोक्रेटिक)
	03	उचेश्वर पंडित	समझदार पार्टी
	04	जवाहर लाल जायसवाल	सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्यूनिस्ट)
खगड़िया	01	रोजश वर्मा	लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)
	02	अजय कुमार	राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी
	03	प्रियदर्शी दिनकर	निर्दलीय

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01) केस रिकॉर्ड है एवं जमुई जिलांतर्गत भी एक (01) केस रिकॉर्ड है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में क्रमेण भागलपुर जिलांतर्गत एक (01), भोजपुर जिलांतर्गत एक (01), गया जिलांतर्गत दो (02), नालंदा जिलांतर्गत एक (01), सारण जिलांतर्गत एक (01) एवं सीतामढ़ी जिलांतर्गत एक (01) केस रिकार्ड किया गया है अर्थात् कुल सात (07) केस राज्य में रिकार्ड किये गये है तथा तदनुसार सात (07) एफआईआर दर्ज हैं। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में नौ (09) केस रिकॉर्ड किये गये हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं–औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01),पूर्णिया जिलांतर्गत एक (01), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत तीन (03) सहरसा जिलांतर्गत दो (02), सारण जिलांतर्गत एक (01) एवं सुपौल जिलांतर्गत एक (01)। इस संदर्भ में आठ (08) एफआईआर दर्ज हैं।

आदर्श आचार संहिता के ही तहत सम्पत्ति विरूपण से संबंधित निजी सम्पत्ति के मामले में दरभंगा जिलांतर्गत एक (01) पोस्टर के संदर्भ में कार्रवाई की गई है।

दिनांक 15.04.2024 को कुल **₹3.67851**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–16837.50(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹41.56685**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹265.23740**(लाख) रूपये मूल्य के 1525644.68(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹178.92140**(लाख) रूपये मूल्य की 590472.12 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹489.40416**(लाख) रूपये मूल्य की कुल जब्ती प्रतिवेदित है।